संक्षिप्त समाचार.....

28 साल की विवाहिता के ऊपर कूदा बंदर, हार्ट अटैक आने से घटनास्थल पर हुई मौत

कोटा। घर की छत पर रोजमर्रा का काम करने गई एक महिला के साथ रविवार दोपहर ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। छत पर कपड़े सुखा रही 28 वर्षीय विवाहिता अचानक बंदरों के झुंड के बीच घिर गई। इसी दौरान एक बंदर उसके ऊपर कूद पड़ा और हमला कर दिया। महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए इस हमले से वह बुरी तरह घबरा गई और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ स्थित जागाओं के मोहल्ले की है। मृतका की पहचान रेनू भट्ट (28) के रूप में हुई है। वह रविवार दोपहर घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थी। इसी दौरान वहां बंदरों की टोली पहुंच गई। प्रत्यक्ष घटनाक्रम के मुताबिक, एक बंदर अचानक रेनू के ऊपर कूद गया। उसने बचाव के लिए पास में रखी लकड़ी उठाई, लेकिन बंदर उसके कंधों पर चढ़ गया और चेहरे तथा पीठ पर पंजे मारने लगा। रेनू की चीख सुनकर घर के लोग तुरंत छत पर पहुंचे।

जतीपुरा में संत गोविंद स्वामी की बैठक पर भव्य संगीत महोत्सव का आयोजन

जयपुर। राजस्थान की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा को पुनर्जीवित करने की दिशा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित देवस्थान विभाग राजस्थान के श्री वनबिहारी मंदिर पर कदमखंडी, जतीपुरा में अष्टछाप के महान संत-कवि एवं संगीतज्ञ अष्टसखा गोविंद स्वामी की बैठक पर भव्य संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। 'कृष्ण सखा गोविंद स्वामी जी ङ्क रसिक अनन्यनि को पथ बाँको' शीर्षक से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में अष्टछाप के महान कवियों के पदों का शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित रागों में भावपूर्ण गायन किया गया। विशेष रूप से अष्टसखा गोविंद स्वामी के चुनिंदा पदों की संगीतमय प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं एवं संगीतप्रेमियों को भावविभोर कर दिया। अष्टसखा गोविंद स्वामी राजस्थान की सांस्कृतिक, कृष्ण भक्ति एवं ब्रज परंपरा के महान संवाहक संत-कवि एवं संगीतज्ञ थे। उनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले के अटारी गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा और संगीत साधना के माध्यम से श्रीकृष्ण भक्ति को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पूर्व क्रिकेटर ज़हीर खान के साले शिवजीत घाटगे की शादी आज

जयपुर। जयपुर एक बार फिर सेलिब्रिटी डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बन रही है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान के साले और अभिनेत्री सागरिका घाटगे के छोटे भाई शिवजीत घाटगे आज यानी सोमवार, 16 नवंबर 2026 को पल्लवी के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये शाही विवाह समारोह जयपुर के सीकर रोड और चौमूं क्षेत्र स्थित एक लग्जरी रिसॉर्ट में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए क्रिकेट और ग्लैमर जगत की कई नामी हस्तियां जयपुर पहुंच चुकी हैं। अभिनेत्री सागरिका घाटगे के छोटे भाई शिवजीत महाराष्ट्र के कागल के शाही मराठा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे फिटनेस और लाइफस्टाइल क्षेत्र के एक चर्चित ऐप के सीईओ भी हैं। शिवजीत आज पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पल्लवी संग सात फेरे ले रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इस डेस्टिनेशन वेडिंग के कार्यक्रमों की शुरुआत 13 नवंबर से ही हो गई थी। इस दिन जहीर खान, पत्नी सागरिका घाटगे, उनके बेटे और दूल्हा-दुल्हन के परिजन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे चौमूं स्थित होटल के लिए रवाना हुए।

राष्ट्र की मजबूती के लिए घर वापसी अभियान जारी रखें : वासुदेव देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने आर्य समाज से राष्ट्र और समाज की मजबूती के लिए स्वामी श्रद्धानंद द्वारा शुरू किए गए घर वापसी अभियान को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने लव-कुश उद्यान से सुभाष उद्यान तक प्रस्तावित महर्षि दयानंद मार्ग का लोकार्पण जल्द कराने की घोषणा भी की। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी रविवार को अजमेर में आयोजित स्वामी श्रद्धानंद बलिदान शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद केवल स्वाधीनता सैनानी अथवा समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र, समाज और धर्म के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन से उत्पन्न खतरे को समय रहते समझा और घर वापसी अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान के माध्यम से उन्होंने बड़ी संख्या में ?से लोगों की मूल सनातन धर्म में वापसी कराई, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। श्री देवनानी ने कहा कि उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने जिस चुनौती को पहचाना था, वह आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसलिए आर्य समाज को उनके विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाते हुए घर वापसी अभियान जारी रखना चाहिए।

राजस्थान के 3 जिलों को पेयजल समस्या से मिलेगी राहत, पानी के भीतर बन रहा पम्प हाउस

टोंक। जयपुर, अजमेर और टोंक सहित आस-पास के क्षेत्रों की वर्ष 2051 तक बढ़ने वाली पेयजल मांग को देखते हुए बीसलपुर बांध में तीसरे इंटेक पम्प हाउस का निर्माण करवाया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि इसका निर्माण समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बनने वाले इंटेक पम्प हाउस की तर्ज पर बांध के जलभराव क्षेत्र में पानी के भीतर खंभे बनाकर किया जा रहा है। 122 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पम्प हाउस से भविष्य में बीसलपुर की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही ईआरसीपी के तहत कोटा के नवनेरा से बीसलपुर में पानी लाने की योजना को भी गति मिलेगी। बीसलपुर बांध परियोजना के अधीक्षण अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि नए इंटेक पम्प हाउस की क्षमता प्रतिदिन 1000 एमएलडी पानी पम्प करने की होगी। यह बांध पर पहले से संचालित दोनों पम्प हाउस से अधिक क्षमता का होगा। अभी जयपुर-अजमेर पेयजल आपूर्ति के लिए बने पम्प हाउस की क्षमता 990 एमएलडी प्रतिदिन है। वर्तमान में बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण

जयपुर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत सोमवार को होने वाले सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के मतदान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने रविवार को मामचारी, अतैवा, राजौर एवं कैलादेवी में मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अक्षय गोदारा तथा पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए की गई मूलभूत व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने केन्द्रों पर पेयजल, बिजली, पर्याप्त प्रकाश, शौचालय, साफ-सफाई, छाया तथा दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए रैम्प एवं व्हीलचेयर की उपलब्धता की जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान के दिन किसी भी मतदाता को अनावश्यक असुविधा न हो और विशेष आवश्यकता वाले मतदाताओं के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार रखा जाए। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने मतदान केन्द्रों पर की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं, मतदान दलों की रवानगी, सामग्री वितरण और सेक्टर अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी।

जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, रोजाना फील्ड में उतरकर करें मॉनिटरिंग : शासन सचिव

जयपुर/एजेंसी।



स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए सोमवार को जयपुर के समस्त जोन उपायुक्तों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने शहर में विभिन्न स्थानों पर बने कचरा पॉइंट्स एवं सफाई व्यवस्था में सामने आ रही लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर की स्वच्छता के प्रति किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री जैन ने सभी जोन उपायुक्तों एवं मुख्य सफाई निरीक्षकों को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से फील्ड में उतरकर अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि मौके पर जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा लें और प्रतिदिन की निरीक्षण रिपोर्ट एवं कार्यवाही का विवरण मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन सचिव ने कहा कि शहर की स्वच्छता का दायरा केवल मुख्य सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आवासीय कॉलोनियों, आंतरिक मार्गों, सब्जी मंडियों, बाजारों एवं अन्य व्यस्त क्षेत्रों में भी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कचरा संग्रहण एवं निस्तारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ ही चिन्हित कचरा पॉइंट्स को समाप्त करने तथा दोबारा कचरा एकत्रित नहीं होने देने के निर्देश दिए।

उन्होंने दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं रखने पर भी सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अधिकाधिक चालान जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी दुकान के आसपास स्वच्छता बनाए रखे तथा कचरा निर्धारित स्थान पर ही डाले। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारी जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को भी पूरी गंभीरता एवं नियमितता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आवासीय क्षेत्रों में घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाए तथा कचरा संग्रहण वाहनों की नियमित आवाजाही एवं निर्धारित रूट के अनुसार संचालन की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। किसी भी क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

श्री जैन ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार केवल कागजी कार्रवाई से नहीं, बल्कि नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई से ही संभव है। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा तथा चेताया कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही अथवा निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग में ढिलाई बरतने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा एवं स्वच्छता व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश

जयपुर/एजेंसी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं संक्रमणमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना चिकित्सा संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

श्री खींवसर ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों, जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल करवाया जाए तथा चूहों एवं अन्य कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों के सभी वार्डों, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, प्रसूति कक्ष, शौचालयों एवं अन्य चिकित्सा इकाइयों में नियमित साफ-सफाई रखी जाए और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

उन्होंने अस्पताल भवनों के खिड़की-दरवाजों, नालियों एवं अन्य प्रवेश मार्गों का निरीक्षण कर ऐसे स्थानों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं, जहां से चूहे एवं अन्य आवारा पशु अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों को खाद्य सामग्री खुली नहीं छोड़ने के लिए जागरूक किया जाए। कैंटीन एवं भोजन वितरण स्थलों पर भी खाद्य सामग्री के सुरक्षित रखरखाव और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। खींवसर ने अस्पतालों में तैनात सुरक्षा गार्डों को निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुरूप ड्यूटी करने तथा वार्डों एवं अस्पताल परिसर में आवारा पशुओं के प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि अस्पताल अधीक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं संस्थान प्रभारी स्वयं नियमित रूप से वार्डों और अस्पताल परिसर का निरीक्षण करें तथा स्वच्छता एवं सुरक्षा से संबंधित कमियों को तत्काल दूर करवाएं।

हर शिकायत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयावधि में करें निस्तारित : शासन सचिव त्यागी

जयपुर/एजेंसी।



शासन सचिव, पर्यटन विभाग श्रीमती शुचि त्यागी ने सोमवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन-181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, देवस्थान तथा कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से संबंधित दर्ज परिवेदनाओं एवं उनके निस्तारण की वास्तविक स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती त्यागी ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर आमजन द्वारा दर्ज करवाई गई परिवेदनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कुछ प्रकरणों का स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित परिवादियों से दूरभाष पर संवाद किया तथा उनकी समस्याओं के संबंध में बिंदुवार जानकारी प्राप्त की।

शासन सचिव ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयावधि में निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि परिवेदनाओं का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करते हुए उसकी संतुष्टि का भी विशेष ध्यान रखा जाए। श्रीमती त्यागी ने विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के प्रभावी फॉलो-अप एवं नियमित मॉनिटरिंग के लिए तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रकरणों के औसत निस्तारण समय (एवरेज डिस्पोजल टाइम) तथा परिवादियों के संतुष्टि प्रतिशत की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने हेल्पलाइन पर कार्यरत कार्मिकों को आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील एवं तत्पर रहने तथा प्रत्येक परिवादी को उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।

युवक की हत्या के बाद शुरू हुई वोटिंग, एसडीएम और पीड़ित परिवार के बीच हुई वार्ता

धौलपुर/एजेंसी।



जिले की बरौली ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव से पहले हुई हिंसा और युवक की हत्या के बाद सोमवार को मतदान पर भी इसका असर देखने को मिला। गांव में दहशत के चलते सुबह से ही पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि, शाम 4.30 बजे के बाद वोटिंग शुरू हुई। एसडीएम की ओर से मृतक पक्ष के लोगों से दोबारा हुई बातचीत के बाद मतदान पर सहमति बनी। गौरतलब है कि रविवार देर रात सरपंच प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे। इस दौरान हुई फायरिंग में पीतम पुत्र कल्याण की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का रिंकू घायल हो गया था। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। आक्रोशित लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला कर आगजनी भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रिंकू को डिटेन कर लिया गया है। उसके पैर में चोट लगी है। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों को डिटेन किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सोमवार सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया गया। इसके बाद प्रशासन ने पीड़ित पक्ष के लोगों से बातचीत की। मतदान में शामिल होने पर सहमति बनने के बाद प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी की है। मृतक पीतम 3 भाईयों में सबसे छोटा था। सबसे बड़ा खुशीलाल, उसके बाद श्याम सिंह और तीसरा बेटा पीतम था। पीतम अविवाहित था। जो अपने भाइयों के साथ खेती बाड़ी करता था। घायल रिंकू के भाई की पत्नी रजनी गांव की निवर्तमान सरपंच हैं। इस बार सरपंच पद की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और रजनी फिर से चुनाव मैदान में हैं।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 लाख 23 हजार नए पद बढ़ाने की तैयारी

बीकानेर/एजेंसी।



राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और अन्य कार्मिकों के पदों का गणित बदलने जा रहा है। करीब 11 साल बाद लागू होने जा रहे नए स्टाफिंग पैटर्न में स्कूलों की जरूरत का आकलन केवल कक्षाओं की संख्या से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के नामांकन, कक्षा स्तर और संकाय के आधार पर होगा। यानी जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी, वहां शिक्षकों के पद बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। वहीं कम नामांकन वाले स्कूलों में स्वीकृत पदों की समीक्षा कर अतिरिक्त कार्मिकों का दूसरे स्कूलों में समायोजन किया जाएगा। विभागीय प्रस्ताव के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में स्वीकृत 3,92,431 पदों के मुकाबले 1,23,186 नए पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके बाद कुल स्वीकृत पदों की संख्या 5,15,617 हो जाएगी। नए पैटर्न का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की उपलब्धता को वास्तविक जरूरत के अनुरूप बनाना है। इससे लंबे समय से पदों की कमी झेल रहे स्कूलों को राहत मिलने के साथ क्रमोन्नत और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी आवश्यक पद उपलब्ध कराने का रास्ता खुल सकता है।

नए नियमों के तहत स्कूलों में पदों की संख्या का पुनर्निर्धारण और समानीकरण हर दो साल में किया जाएगा। इसके लिए हर साल 30 सितंबर तक दर्ज विद्यार्थियों के नामांकन को आधार बनाया जाएगा। पद निर्धारण की प्रक्रिया सामान्यतः 15 जून तक पूरी करने का लक्ष्य है। नए स्टाफिंग पैटर्न में पहली से पांचवीं, छठी से आठवीं, नौवीं-दसवीं और ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षाओं के लिए नामांकन के अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक स्कूलों में संकाय और विषयों के आधार पर भी शिक्षकों की जरूरत तय होगी।

नए पैटर्न के अनुसार प्रधानाचार्य को सप्ताह में 12, उप प्राचार्य को 18, प्राध्यापक को 33, वरिष्ठ अध्यापक को 36 तथा लेवल-1 और लेवल-2 अध्यापकों को 42 कालांश पढ़ाने होंगे। किसी स्कूल में शिक्षक का पद रिक्त होने पर उपलब्ध शिक्षकों से अन्य कक्षाओं का शिक्षण कार्य भी करवाया जा सकेगा।

नए स्टाफिंग पैटर्न में उन स्कूलों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, जहां अब तक आवश्यक पद स्वीकृत नहीं हैं। खासतौर पर क्रमोन्नत स्कूलों और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जरूरत के अनुसार पद सृजित किए जा सकेंगे।

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा एवं स्वच्छता व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश

जयपुर/एजेंसी।



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं संक्रमणमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना चिकित्सा संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

श्री खींवसर ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों, जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल करवाया जाए तथा चूहों एवं अन्य कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों के सभी वार्डों, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, प्रसूति कक्ष, शौचालयों एवं अन्य चिकित्सा इकाइयों में नियमित साफ-सफाई रखी जाए और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

उन्होंने अस्पताल भवनों के खिड़की-दरवाजों, नालियों एवं अन्य प्रवेश मार्गों का निरीक्षण कर ऐसे स्थानों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं, जहां से चूहे एवं अन्य आवारा पशु अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों को खाद्य सामग्री खुली नहीं छोड़ने के लिए जागरूक किया जाए।

राज्यपाल ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की

जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित दक्षिण-पूर्व एशियाई लैक्रोस चैंपियनशिप-2026 में भारतीय महिला टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने इस टीम में राजस्थान सहित देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि जनजातीय युवाओं की प्रतिभा एवं परिश्रम से राष्ट्र का मान बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल श्री बागडे ने लैक्रोस खेलों से जुड़ी जनजातीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसी आलोक में उन्होंने लोकभवन में इन खेलों से जुड़ी आदिवासी बालिकाओ से संवाद कर उन्हें आर्थिक सहायता देने के साथ निरंतर प्रोत्साहित किया है।

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.
CIN: U64990HR2016PTC057984
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 2009-14, 20वीं मंज़िल, मैगनम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-58, गुरुग्राम (हरियाणा)-122011

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु द्वितीय पश्चातवर्ती बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु द्वितीय पश्चातवर्ती बिक्री सूचना के लिए ई-नीलामी
एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्ज़ा मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.25 को लिया जा चुका है, उक्त प्रतिभूत/बंधक आस्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" और "जो कुछ भी वहाँ है" के आधार पर बेचा जाएगा।
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम HTTPS://WWW.BANKEAUCTIONS.COM के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।
संपत्ति का विवरण:
आवासीय संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश, प्लॉट नंबर J-2 का पश्चिमी भाग, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट, खसरा नंबर 32, 33, स्थित- गांधी ग्राम रोड, विज्ञान नगर, देवपुरा, बूंदी, राजस्थान। **चतुःसीमा- उत्तर-** रास्ता **दक्षिण-** प्लॉट J-7 **पूर्व-** प्लॉट J-3 **पश्चिम-** प्लॉट J-2 का शेष भाग

उधारकर्ता/ओं एवं गारंटर/ओं का नाम एवं पता	1. नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी 3. बोली वृद्धि
1. हरिओम नानोत पुत्र घासीलाल नानोत (उधारकर्ता) निवासी- वार्ड नं. 4, पावरहाउस कॉलोनी, चित्तौड़ रोड, बूंदी, राजस्थान-323001 **2. गीताबाई पत्नी घासीलाल (सह-उधारकर्ता)** निवासी G 6, 132 के.वी. जीएसएस कॉलोनी, चित्तौड़ रोड, बूंदी, राजस्थान-323001 **3. घासी लाल नानोत पुत्र रामचंद्र नानोत (सह-उधारकर्ता)** निवासी मकान नं. 98, हरिधाम कॉलोनी, बिबनवा रोड, बूंदी, राजस्थान-323001 **ऋण खाता सं. (LAN) LXKOT02900-000023941 अनुबंध तिथि: 31-03-2023 ऋण राशि रु. 19,00,000/- कुल बकाया राशि रु. 25,41,382/- दिनांक 26-दिसंबर-2025 तक + 27-दिसंबर-2025 से आगे का ब्याज एवं अन्य शुल्क।**	**1) नीलामी तिथि- 10.12.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक, 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 08.12.2026 सायं 5:00 बजे (IST) तक 3) निरीक्षण की तिथि: 05.12.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक (IST)**	**आरक्षित मूल्य: रु. 14,75,000/- अग्रिम धन जमा (ईएमडी): रु. 1,47,500/- बोली वृद्धि रु. 10,000/- एवं उसके गुणकों में।**

नीलामी के नियम एवं शर्तें
ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के बोली दस्तावेज़, घोषणा पत्र, सामान्य नियम एवं शर्तें सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। इच्छुक बोलीदाता सहायता नं. 7291981124,25,26 पर तथा श्री भाविक पंड्या 8866682937 से संपर्क कर सकते हैं, सहायता ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com (सेवा प्रदाता सी । इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) या auction@ummeedhfc.in, तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि. से **18002026127** पर संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता को ईएमडी की राशि डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि. के पक्ष में खाता सं. 50200021387303, IFSC- HDFC0003906 में ईएमडी की निर्धारित तिथि एवं समय पर या उससे पहले जमा करनी होगी।

दिनांक: 17-नवंबर-2026 ह./- प्राधिकृत अधिकारी, संपर्क टोल फ्री नं. 1800-2026-127
स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा कृते उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखें

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **मनोज कुमार पुत्र बाबू लाल** निवासी: म.नं. 82, खटीक मौहल्ला, गांव – बाहमोड़, तहसील – विराट नगर, जिला – जयपुर, राजस्थान ने **FIR No. 834/2019 & Cr. Case No. 6419/2025 u/s 498A IPC, थाना : निहाल विहार, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या सन्देह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त **मनोज कुमार** नही मिल रहा है और समाधानप्रद रूप से प्रदर्शित कर दिया गया है कि उक्त **मनोज कुमार** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए छिपा हुआ है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 834/2019 & Cr. Case No.6419/2025 u/s